कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक,गृह रक्षा, राजस्थान,जयपुर)
जलेब चौक,जयपुर।

ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in फोन नम्बर 0141–2612593
Website: http:// home.rajasthan. gov.in/homeguards

क्रमांकः–प.37(1225)गृरमु/पीएसएएल/2020/ 8570-73 दिनाकः– 20 AUG 2020

कार्यालय आदेश

मैसर्स ए.आर.सी. सिक्यूरिटी सोल्यूशन प्रा0लि0 लाईसेन्स संख्या 312/2010 दिनांक 20.10.2010 वैद्यता 19.10.2020 (निजी सुरक्षा अभिकरण) का प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 16 के तहत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5405 दिनांक 22.04.2020 द्वारा निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर से निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उक्त निजी सुरक्षा अभिकरण का कार्यालय दर्जशुदा पते पर संचालित होना नहीं पाया गया। अतः प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 11, 13(1)(ग) एवं राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन करने के कारण पसार एक्ट 2005 की धारा 13(2) के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 6015–17 दिनांक 22.04.2020 के द्वारा उक्त अभिकरण के लाईसेन्स को निलम्बित किया गया व कार्यालय पत्र क्रमांक 6018–19 दिनांक 22.04.2020 के द्वारा अनुज्ञाधारक से नियमों का उल्लघंन करने पर कारण पृच्छा नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया। निलम्बन का प्रश्न अवधरित नहीं होने के कारण उक्त एजेन्सी का निलम्बन कार्यालय आदेश क्रमांक 6783–85 दिनांक 19.06.2020 द्वारा एक माह बढाया गया।

अनुज्ञाधारक द्वारा दिनांक 26.05.2020 को इस कार्यालय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत कोरोना महामारी के कारण कार्यालय बन्द होना बताया। अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तर्कसंगत व संतोषजनक नहीं पाये जाने पर इनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अनुज्ञाधारक के अधिकृत प्रतिनिधी श्री नितिन सक्सैना (जनरल मेनेजर) दिनांक 02.07.2020 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित आये। इनके द्वारा बताया गया कि कोराना महामारी के कारण निरीक्षण के समय कार्यालय बन्द था। कार्यालय पते में बदलाव नहीं किया गया है। इनके द्वारा एजेन्सी का पुनः निरीक्षण कराने हेतु निवेदन किया गया। जिसे स्वीकार किया जाकर उक्त निजि सुरक्षा अभिकरण का निरीक्षण करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7324 दिनांक 06.07.2020 के द्वारा निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर को लिखा गया। निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 3580 दिनांक 11.08.2020 के द्वारा उक्त सुरक्षा अभिकरण की जांच रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाई है। रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अभिकरण द्वारा समस्त आक्षेपो की पूर्ति कर दी गई है।

अतः उक्त अभिकरण के लाईसेन्स संख्या 312/2010 दिनांक 20.10.2010 वैद्यता 19.10.2020 (निजी सुरक्षा अभिकरण) को तुरन्त प्रभाव से बहाल किया जाता है।

20.8.2020

(राजीव दासोत IPS)
(नियंत्रक प्राधिकारी)
महानिदेशक
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. श्री भागवत लोहिया पुत्र श्री रिछपाल लोहिया निवासी 11–ए, टॉवर–01, द हिबिस्कस कॉन्डोमिनियम कॉम्पलेक्स, सेक्टर–50, गुरूग्राम, हरियाणा व कार्यालय पता फलेट नं. जी–3, रघुकुल अपार्टमेन्ट, प्लॉट नंबर 39/39–ए, उदयनगर–ए, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अद्यतन (अपलोड) करने बाबत।

(राजीव दासोत IPS)
(नियंत्रक प्राधिकारी)
महानिदेशक
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर